



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.**

**(A Government of India Enterprises)**

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001  
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068

Web: [dfccil.com](http://dfccil.com)

No. 2019/HQ/Admin/RTI-737

New Delhi: 25.10.2019

Sh. Vipin Kumar  
S/o Sh. Jaiveer Singh  
Village Sakoti  
Dak-Sakoti Tanda  
Tehsil-Sardhana  
Meerut, UP  
Mobile-9760086742

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

**Reference: Your RTI application dated 06.09.19 received through CPM/Meerut's office on 25.10.19.**

Your RTI application has been transferred to Special Land Acquisition Officer, under section 6(3) of the RTI Act. Please coordinate with those offices.

However, for information pertaining to DFCCIL is attached.

**(S.K.PANDA)**

**Copy to:**

भूमि अध्याप्ति अधिकारी  
(स० स०) मेरठ  
उत्तर प्रदेश-250003

The applicant has sought for information on points (5-7) pertaining to your office. The application is hereby transferred under Sec 6(3) of RTI Act 2005 for replying to the applicant directly.

**(S.K.PANDA)**

**Dy. G.M/Admn.(PIO)**

**E-mail: [skpanda@dfcc.co.in](mailto:skpanda@dfcc.co.in)**

**9717636811**

पत्रांक- सी0पी0एम0 / एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / वोल्यूम- 6

दिनांक- 23.10.2019

डिप्टी जी0एम0 / एडमिन(पी0आई0ओ0)  
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,  
नई दिल्ली।


विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करायें जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- (1) आवेदनकर्ता विपिन कुमार पुत्र श्री जयवीर सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2019 (प्राप्ति दिनांक 25.09.2019).

सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में श्री विपिन कुमार द्वारा चाही गई सूचना का विवरण बिन्दुवार निम्न लिखित है।

क्रम सं०	चाही गई सूचना का विवरण
1	इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि ग्राम कनौडा में डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 परियोजना के लिए गाटा सं० 46 में से क्षेत्र- 0.0966 हे० भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
2-4	यह जानकारी उपरोक्त पैरा-1 में दी जा चुकी है।
5-7	यह जानकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०) मेरठ के कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8	इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि खसरा सं० 46 से अण्डर-पास के लिए क्षेत्र 280 वर्गमी० भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जानी प्रस्तावित है।
9	इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि अण्डर-पास के लिए भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किया जाना प्रस्तावित है।
10	इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है प्रस्तावित भूमि की क्रय दर जिलाधिकारी मेरठ द्वारा निर्धारित की गई है।
11	यह जानकारी पैरा- 8 में दी जा चुकी है।
12	यह जानकारी उपरोक्त पैरा-1 में दी जा चुकी है।

संलग्नक- आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रति ।

 2019  
उप परियोजना प्रबन्धक / उपप्रोजेक्ट सूचना अधिकारी,  
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मेरठ।